Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में सभापति, नगर परिषद अलवर एवं उसका बेटा 80 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *22 नवम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एस.आई.यू. जयपुर इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये श्रीमती बीना गुप्ता सभापति, नगर परिषद अलवर को उसके बेटे कुलदीप गुप्ता (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 80 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की एस.आई.यू. जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा किये गये नगर परिषद अलवर के विभिन्न कार्यक्रमों के बिलों की कुल राशि के 50 प्रतिशत कमीशन के रूप में श्रीमती बीना गुप्ता सभापति, नगर परिषद अलवर द्वारा 3 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी एस.आई.यू. जयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह शेखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री रघुवीर शरण शर्मा** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये कुलदीप गुप्ता पुत्र श्री पूरणमल गुप्ता निवासी गाय वालों को मौहल्ला, पी.डब्ल्यू.डी. ऑफिस के पीछे, अलवर (सभापति का बेटा प्राईवेट व्यक्ति) को श्रीमती बीना गुप्ता सभापति, नगर परिषद अलवर के लिये परिवादी से **80 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में आरोपिया श्रीमती बीना गुप्ता सभापति, नगर परिषद अलवर को भी गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि एसीबी को शिकायत करने से पूर्व परिवादी द्वारा आरोपियों को 1 लाख 10 हजार रुपये दिये जा चुके थे तथा शिकायत सत्यापन के दौरान भी आरोपियों द्वारा 20 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल किये गये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।